भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3509

(शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

कंपनियों का कारपोरेट सामाजिक दायित्व

3509. श्रीमती मीनाक्षी लेखीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में कार्यरत/कार्यशील सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इन कंपनियों ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कोई कार्य किया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): दिनांक 31.01.2018 के अनुसार दिल्ली में 12442 पब्लिक और 198389 प्राइवेट कंपनियाँ पंजीकृत हैं।

(ख) और (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135(1) के तहत 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार, या 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक रुपये के निवल मूल्य; या 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी को तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाये गए औसत निवल लाभ का न्यूनतम दो प्रतिशत अधिनियम की अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय करने का आदेश देती है। दिनांक 30.11.2017 तक वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 के लिए एमसीए-21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के अनुसार दिल्ली में किए गए सीएसआर व्यय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**उन कंपनियों की संख्या जिन्होंने सीएसआर की सूचना दी है**	**सीएसआर व्यय (लगभग करोड़ रु. में)**
1.	2015-16	960	468
2.	2016-17	656	230

*****